कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या– 4945 /12–1(सा0)मसूरी: दिनांक, 14 अप्रैल 2014.

सेवा में,

सहायक अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
मसूरी।

विषयः– श्री मनोज काला आदि नि0 सुधा निवास द्वारा मसूरी स्थित हरनाम सिहं रोड़ क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण संबंधी एम0डी0डी0ए0 से सन्दर्भित मानचित्र संख्या–60/एम/13–14 पर वन विभाग की आख्या।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–497/मानचित्र संख्या 60/एम/13–14 दि0 19–02–2014.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से प्रेषित **श्री मनोज काला आदि** के मसूरी स्थित हरनाम सिहं रोड़ क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण संबंधी मानचित्र संख्या–60/एम/13–14 पर वन कानून के तहत आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय वनाधिकारियों से कराया गया। जांच रिपोर्ट अनुसार जिस स्थल पर प्रस्तावित भवन का निर्माण कराया जाना है, वह स्थल वेवर्ली कान्वेंट इस्टेट क्षेत्रान्तर्गत है, जो कि राजकीय गजट नोटिफिकेशन संख्या–2361/XIV-B-394–60 दि0 21–4–1966 के सूची कमांक– 84 अनुसार प्राईवेट फौरेस्ट इस्टेट के रूप में नोटिफाईड इस्टेट है। अधिसूचित निजी वन भूमि पर भवन निर्माण जैसे गैर वानिकी कार्य किये जाने की दशा में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू होंगे एवं प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उक्त अधिनियम के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यकीय है।

भवदीय,

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसरी।

संख्या– 4945/तददिनांकित।

प्रतिलिपि श्री मनोज काला आदि, निवासी सुधा निवास हरनाम सिहं रोड, मसूरी को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में।

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसरी।